# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

**डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1233 वर्ष 2017**

प्रबीर कुमार बरात .... ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।

2. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची।

3. प्रधान सचिव, राजस्व पंजीकरण और भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार।

4. उपायुक्त, पलामू, डाल्टनगंज।

5. जिला सवेक्षण बंदोबस्त अधिकारी, पलामू।

6. भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पलामू, डाल्टनगंज।

7. जिला उप–निबंधक, पलामू।

8. सर्किल ऑफिसर, जापला।

9. सहायक बंदोबस्त अधिकारी, पलामू। .....उत्तरदातागण

**कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायणा प्रसाद**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री मितुल कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी–राज्य के लिएः– ए0ए0जी0 का ए0सी0

06/26.02.2019 रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर किया गया है, जिसमें राजस्व रिकॉर्ड तैयार करने में प्रविष्टियों में उचित सुधार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है और इस आशय के लिए, याचिकाकर्ता ने आवेदन दायर किया है,

लेकिन जिला बंदोबस्त अधिकारी, पलामू के कार्यालय में कर्मचारियों की कमी होने के कारण इसका निर्णय नहीं लिया गया है, जैसा कि अनुबंध–9, दिनांक 05.12.2016 से स्पष्ट है।

प्रत्यर्थी–राज्य की ओर से उपस्थित ए0ए0जी0 के विद्वान ए0सी0 ने प्रस्तुत किया है कि यदि पहले से ही निपटान नहीं किया गया है तो संबंधित प्राधिकारी को उचित अवधि के भीतर रिट याचिका का निपटान करने का निर्देश देकर इसको निपटाया जा सकता है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस रिट आवेदन में की गई प्रार्थना पर विचार करने के बाद, जो राजस्व अधिकार अभिलेख में आवश्यक सुधार करने के लिए दायर आवेदन के निपटान से संबंधित है और जिला समझौता अधिकारी, पलामू के समक्ष लंबित है, इस रिट याचिका का निपटान इस स्तर पर संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति और याचिकाकर्ता के दावे को देखे बिना जिला बंदोबस्त अधिकारी, पलामू (प्रत्यर्थी संख्या 5) को आवेदन पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश देकर किया जाता है, यदि उसके समक्ष लंबित है तो, आदेश की एक प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, याचिकाकर्ता और अन्य प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद।

तदनुसार, इस रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)